

57-U7D116
09/03/2016

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लाखनऊः दिनांक: ५ मार्च, 2016

विषय: नगरीय परिवहन से संबंधित विषयों पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन, समीक्षा एवं समन्वय हेतु गठित नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश को समन्वयक निदेशालय बनाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई है। उक्त निदेशालय पूर्णतः क्रियाशील है तथा नगरीय परिवहन से संबंधित बहुआयामी विषयों पर इस निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश की शहरी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु 'डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड (डीयूटीएफ)' का गठन भी हो चुका है, जिसकी नियित के उपयोग एवं क्रियान्वयन का दायित्व नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश का है। नगरीय परिवहन निदेशालय के गठन का प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि नगरीय परिवहन से संबंधित सभी बिन्दुओं एवं विषयों के संबंध में अन्य विभागों एवं संस्थाओं द्वारा नगरीय परिवहन के सेत्र में किये जा रहे कार्यों में समन्वय की भूमिका निभाते हुए योजनाओं को सहायता समर्थन एवं उनके शीघ्र क्रियान्वयन में मदद कर सकें। प्रदेश में नगरीय परिवहन गतिविधियों की सूचना एक स्थान पर होना आवश्यक है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने विभाग के अधीन नगरीय परिवहन के किसी भी पहलू पर यदि कोई योजना क्रियान्वित की जा रही हो, तो इसकी सारांभित सूचना नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश तथा उसके नियंत्रणाधीन निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश इन्विरा भवन, लाखनऊ को उपलब्ध कराने तथा इस संबंध में अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित विभागाध्यक्षों/अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय


 (आलोक रंजन)
 मुख्य सचिव।

संख्या-566(1)/नौ-5-2016, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ग्रेहित :-

- (1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (2) अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) निदेशक, नगर निकाय, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त गण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (7) निदेशक/संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त अधिकारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
- (10) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (11) गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,


 (श्रीप्रकाश सिंह)
 सचिव।